



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 20.02.2024

थाना शामली

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में मारपीट करने के मामले में 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 06-06 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 24000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

वर्ष 2011 में अभियुक्तगण 1.प्रताप पुत्र नकली निवासी ग्राम मीमला थाना कांधला जनपद शामली 2.कुलवीर पुत्र कर्णपाल निवासी ग्राम मीमला थाना कांधला जनपद शामली 3.सुरेश पुत्र किसना निवासी ग्राम मीमला थाना कांधला जनपद शामली 4.प्रमोद पुत्र नन्हा निवासी ग्राम मीमला थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 114/2011 धारा 452,323,324,294,308,325 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 20.02.2024 को माननीय न्यायालय FTC-1 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्तगण को उपरोक्त धारा 452,323,324, 308,325 भादवि में सुनाई 06-06 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 6000-6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

- 1.प्रताप पुत्र नकली निवासी ग्राम मीमला थाना कांधला जनपद शामली।
- 2.कुलवीर पुत्र कर्णपाल निवासी ग्राम मीमला थाना कांधला जनपद शामली।
- 3.सुरेश पुत्र किसना निवासी ग्राम मीमला थाना कांधला जनपद शामली।
- 4.प्रमोद पुत्र नन्हा निवासी ग्राम मीमला थाना कांधला जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 5000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

वर्ष 2017 में अभियुक्त जोनी पुत्र सुरेश निवासी ग्राम दथेड़ा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 253/2017 धारा 306 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 20.02.2024 को माननीय न्यायालय ADJ/SPL/SC/ST कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त जोनी उपरोक्त को धारा 306 भादवि में सुनाई 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.जोनी पुत्र सुरेश निवासी ग्राम दथेड़ा थाना झिंझाना जनपद शामली ।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में विद्युत अधिनियम के 07 अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 02-02 वर्ष के कारावास की सजा:-

1. वर्ष 2021 में अभियुक्तगण 1.मुकेश पुत्र सौदान सिंह उर्फ देवी सिंह निवासी कादराबाद थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद 2.बाबर पुत्र मुजाहिद निवासी तालाब वाला कोट थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद 3.साकिब पुत्र शाबिर निवासी मौहल्ला अंसारियान कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर 4.बोबी पुत्र महावीर निवासी मौहल्ला शिवपुरी थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 280/21, 393/21, 401/21 धारा 136,137 विद्युत अधिनियम पंजीकृत किये गये थे । इसी क्रम में आज दिनांक 20.02.2024 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम में सुनाई 02-02 वर्ष के कारावास की सजा ।

2. वर्ष 2022 में अभियुक्तगण 1.मुकेश पुत्र सौदान सिंह उर्फ देवी सिंह निवासी कादराबाद थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद 2.बाबर पुत्र मुजाहिद निवासी तालाब वाला कोट थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद 3.साकिब पुत्र शाबिर निवासी मौहल्ला अंसारियान कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर 4.बोबी पुत्र महावीर निवासी मौहल्ला शिवपुरी थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 02/22, 07/22, 09/22, 17/22 धारा 136,137 विद्युत अधिनियम पंजीकृत किये गये थे । इसी क्रम में आज दिनांक 20.02.2024 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम में सुनाई 02-02 वर्ष के कारावास की सजा ।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

- 1.मुकेश पुत्र सौदान सिंह उर्फ देवी सिंह निवासी कादराबाद थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 2.बाबर पुत्र मुजाहिद निवासी तालाब वाला कोट थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 3.साकिब पुत्र शाबिर निवासी मौहल्ला अंसारियान कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर ।
- 4.बोबी पुत्र महावीर निवासी मौहल्ला शिवपुरी थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI